

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / कार्मिक / अ०वि० / नि०पा० / स्ववि०का० / 2016 / 7/4

रीवा, दिनांक 16-08-16

## आमंत्रण-सूचना

शिक्षण सत्र 2016-17 हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न नियमित विभागों/पाठ्यक्रमों एवं स्वयंसेवी पाठ्यक्रमों के लिए निम्नांकित संख्यानुसार गेस्ट फॅकल्टी (अतिथि विद्वानों) हेतु सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

पर्यावरण जीव विज्ञान-08, व्यावसायिक अर्थशास्त्र-02+01\*, रसायन विज्ञान-04, भौतिकी-04, गणित-04, गणितविज्ञान-02, प्राचीन भारतीय इतिहास-03+01\*, व्यवसाय प्रशासन (एम०बी०ए०)-05+02\*, हिन्दी-03, अंग्रेजी-01+01\*, कम्प्यूटर राइटर एम०एस-सी० आई०टी०/एम०टेक (सी०एस०)-07+03\*, एम०फिल-बॉटनी-01, एम०एस-सी०/एम०फिल०- बायोटेक्नोलॉजी-05, माइक्रोबायोलॉजी-02, नायोकैमिस्ट्री-02+01\*, पी०बी०ए० (कम्प्यूटर केंद्र)-05, एम०कॉम/बी०कॉम आनर्स/एम०फिल वाणिज्य-07, बी०बी०ए०-08, एम०बी०ए० एच०आर०डी०-04, बी०एड-18, पी०पी०एच०/बी०पी०ई०/एम०बी०एच०/एम०फिल० शारीरिक शिक्षा-04, एम०बी०ए० पर्यटन-04, एम०बी०ए० आई०आर०पी०एम०-04, एम०एस०डब्ल्यू-04+02\*, पी०जी०डी०एच०आर०-01, पी०जी०डी०जी०सी०-01, सी०वाई०एच०-02, एम०सी०ए० (कम्प्यूटर केंद्र)-04, बी०ए०एल-एल०बी०-13, एम० फिल कैमिस्ट्री-02, एम०फिल कैमिकल साइंस-01, एम०फिल पर्यटन प्रबंधन-01

गेस्ट फॅकल्टी को रुपये 275/- प्रति पीरियड (एक पीरियड का समय एक घण्टे का) की दर से अधिकतम रुपये 825/- प्रति कार्य दिवस मानदेय भुगतान किया जायेगा। आवेदन पूर्ण विवरण और सहपत्रों के साथ कुलसचिव कार्यालय में दिनांक 03 सितम्बर 2016 तक जमा किये जा सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। संलग्न दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन कराया जायेगा। गेस्ट फॅकल्टी पैनल यू०जी०सी०/म०प्र० शारान, उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार तैयार किया जायेगा। प्राथमिक मैरिट सूची प्रकाशन उपरान्त आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी। इसके उपरान्त अंतिम मैरिट सूची का प्रकाशन किया जायेगा। यह सूची सम्पूर्ण सत्र के लिए मान्य होगी। रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वान का आमंत्रण वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित वर्कलोड एवं कालखण्ड के अनुसार किया जायेगा। सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट/सूचना पटल/विभाग में भी प्रकाशित की जायेगी। अंतिम मैरिट सूची (पैनल) आवश्यकतानुसार अतिथि विद्वानों के लिए होगा न कि नियुक्ति करने के लिए। आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जायेगा। इस हेतु कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। आमंत्रण करने या न करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

\* एम०फिल० हेतु।

आदेशानुसार,

(डॉ० बी० भारती)

कुलसचिव